निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 86 वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण वभाग, खटीमा (ऊधम संह नगर) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण वभाग, खटीमा (ऊधम संह नगर) के माह 06/2016 से 12/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर. एन. यादव, श्री राजेश डोभाल सहायक लेखा परीक्षा अ धकारियों तथा श्री नन्दन भण्डारी, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 30/01/2018 से 08/02/2018 तक श्री नीरज चुंगू , वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी अंशकालीन (02-02-2018 से 08-02-2018 तक) के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री संजीव कुमार पाण्डेय व मनोज खंडुडी सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 04/06/2016 से 16/06/2016 तक श्री दिनेश रमोला वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 08/2016 से 05/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी।

   वर्तमान लेखापरीक्षा में माह ०६/2016 से 12/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः जनपद ऊधम संह नगर के वधान सभा क्षेत्र खटीमा, नानकमत्ता, सतारगंज के अंतर्गत मार्ग, पुलो, भवन निर्माण का कार्य।

(ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रां भक अवशेष		स्थापना		गैरस्थापना		आ धक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन	व्यय	प्राप्ति	व्यय		
2014-15	-	-	4.7650	4.7650	38.64770	38.6477	-	-
2015-16	-	-	5.1009	5.0070	27.532	27.532	-	-
2016-17	-	-	5.8588	5.8465	25.0020	25.0020	-	-
2017-18	-	-	7.0395	5.3705	11.58600	10.2829	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त ` (लाख)	व्यय (+) ` लाख	बचत (-) ` लाख
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई **A** श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव, उत्तराखण्ड शासन, लो॰ नि॰ व॰
प्रमुख अ भयन्ता/वभागाध्यक्ष, लो॰ नि॰ व॰, उत्तराखण्ड
मुख्य अ भयन्ता, लो॰ नि॰ व॰
अधीक्षण अ भयन्ता, , लो॰ नि॰ व॰
अ धशासी अ भयन्ता, लो.नि. व.

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण वभाग, खटीमा को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी

कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण वभाग, खटीमा की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 10/2016 ओर 05/2017 को वस्तृत जाँच हेतु चयनित कया गया। बाजपुर में जैतपुर बरखेड़ी मार्ग का पुननिर्माण कार्य का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन लेखापरीक्षा अव ध में सर्वा धक व्यय कार्य के आधार पर कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अ भयन्ता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में दिनांक से का निरीक्षण कया गया।
4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवा र्षक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखे की वा र्षक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/2017 तथा 09/2017 तक की गई।
5. फार्म 51: माह 12/2017 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रे षत कया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द् वतीय के अवशेष निम्नवत हैः-

   भाग प्रथमः 4883706.00/-

   भाग द् वतीयः 226849.15/-
6. खण्ड के उच्चन्त लेखों के अवशेष माह 12/2017 के अन्त में

   (क) प्रकीर्ण निर्माण अ ग्रम 1000635.77/-

   (ख) सामग्री क्रय शून्य

   (ग) नगद परिशोधन शून्य

   (घ) निक्षेप 20348701.49/-

   (ङ) भण्डार 19112771/-

भाग 2 ब

प्रस्तर1 :कार्य के निष्पादन मे ठेकेदार को अर्थदण्ड की कटोती मे अनु चत लाभ पहुचाना, व्यय वर्तन ` **31.41**लाख तथा प्रशासकीय एवं वत्तीय तथा प्रा व धक स्वीकृति के वरुद 204 मी0 अन्य मार्ग निर्माण पर `**13** लाख का अननिय मत व्यय कार्य पर भारित कया जाना।

जनपद- उधम संह नगर के वधान सभा क्षेत्र के सतारगंज मे राज्य योजना के अंतर्गत हल्दुआ से सावेपुर सरकंडा होते हुए चीनी मल मार्ग के 5.75 क0 मी० निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्याः 6971/III(2)/13-40(प्रा.आ.)/2013 दिनांक 14-12-2013 द्वारा ` 406.91 लाख की प्रशासकीय एवं वत्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी।कार्य की प्रा व धक स्वीकृति मुख्य अ भयन्ता, लो.नि. व., हल्द्वानी द्वारा पत्रांकः 203/01/यातायात/हल्द्वानी/2014 दिनांकः 06/02/2014 के माध्यम सेमार्ग के 5.75 क0 मी० निर्माण कार्य हेतुकुल लागत ` 406.91 लाख की प्रदान की गयी थी।तद उपरान्त अधीक्षण अ भयन्ता द्वारा मार्ग निर्माण कार्य हेतु M/s कुमार ट्रे डंग कम्पनी रुद्रपुर के अनुबन्ध संख्या- 2/SE-04/2014 दिनांक-19.05.2014 कुल लागत `351.37 लाख (12.31% ) के साथ गठित कया जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ 19.05.2014 व कार्य समाप्ती की निर्धरित ति थ 18.08.2015 (15 महीने) थी जब क यह कार्य 12/2016 को पूर्ण कया गया व फार्म 64 के अनुसार कार्य पर आति थ तक `**404.46** लाख[1] व्यय कया गया है। अनुबन्ध के अनुसार कार्य पर वत्तीय व भौतिक प्रगति हेतु निम्न माइल स्टोन निर्धरित कए गए थे।

2/SE-04/2014 दिनांक2014-05-19-

माइल स्टोन 1	% 25	3 3/4 माह मे
माइल स्टोन 2	% 50	**71/2** माह मे
माइल स्टोन 3	**75%**	**11 1/2** माह मे
माइल स्टोन 4	% 100	माह 15
वलम्ब		**16** माह

उपरोक्त ता लका के अनुसार कार्य को 16 महीने वलम्ब होने के उपरान्त पूर्ण कया गया (12/2016) तथा मुख्य अ भयन्ता द्वारा समय वृद् ध देते हुए ठेकेदार से मात्र `38935/- (0.11%) क्षतिपूर्ति के रूप मे वसूली गयी जब क जीपीडबल्यू 9 के क्लॉज़ 4 के 4.5 के अनुसार

[1]ठेकेदार को भुगतान `**354** लाख + व्यय वर्तन ` **31.41** लाख **+** आकस्मिक व्यय ` **19.32** लाख

अनुबं धत धनरा श का 10% (लगभग `35 लाख) की वसूली कये जाने के प्रावधान थे। इसके साथ साथ अ भलेखो/ पत्रावली मे यह भी पाया गया क ठेकेदार द्वारा जीपीडबल्यू 9 के क्लॉज़ 4 के अनुसार अधूरा कार्य होने पर समय वृद् ध हेतु कोई आवेदन प्रत्येक माइल स्टोन पूरा होने पर नहीं दिया गया था। खण्ड द्वारा इसके अतिरिक्त शासन के पत्र संख्या 928/III(2)14-75(सा0)/200टी० सी० दिनांक 10-02-2014 द्वारा ई प्रॉक्यूरमेंट पद्ति के अंतर्गत नि वदा प्र क्रया मे एक रूपता लाने हेतु Standarad Bidding document (एस० बी० डी०) लागू करने के लये प्रमुख अ भयंता एवं वभागाध्यक्ष, लोक निर्माण वभाग, द्वारा पत्र संख्या 520/24 सा0 प्र0/14 दिनांक 1-5-2014 द्वारा निर्दे शत कया गया था क उक्त ति थ दिनांक 24-02-2014 के पशचात `1.50 करोड़ से अ धक कार्यो के अनुबन्ध मे एस0 बी0 डी0 ही लगाई जाये। अ भलेखो मे पाया गया क उपरोक्त निर्देशों के क्रम मे अ धशासी अ भयंता द्वारा इस कार्य जो ` 1.50 करोड़ से अ धक था के अनुबन्ध मे एस0 बी0 डी0 को भाग न बनाकर जी0 पी0 डबल्यू 09 को भाग बनाया जो उ चत नहीं है व उपरोक्त दिये गये दिशा निर्देशों का भी साफ साफ उल्लंगन था। जिससे ठेकेदार को समय पर कार्य पूर्ण न कये जाने से एल० डी० (liquidated damages) की कटोती नहीं की जा सकी व ठेकेदार को अनु चत लाभ पहुचाया।

आगेअ भलेखो की जांच मे पाया गया क मार्ग निर्माण कार्य मे स्वीकृत लम्बाई 5.75 क० मी० के अलावा खण्ड द्वारा प्रशासकीय एवं वत्तीय तथा प्रा व धक स्वीकृति के वरूद्ध 204 मी0 उसी मार्ग पर जुड़े अन्य मार्ग का (शासन अथवा उच्च अ धकारियों से पूर्व स्वीकृति प्राप्त कये) निर्माण कया था जो क स्वीकृत आगणन मे सम्मि लत नहीं था व उक्त पर सलग्नक - 1 के अनुसार `**13** लाख का व्यय कया था। इस के अतिरिक्त खण्ड द्वारा इस कार्य से ` **31.41** लाख का भुगतान टी०एस०पी० के अन्तर्गत चल रहे कार्यो व वा र्षक मार्ग अनुरक्षण पर कया गया है। यह भी पाया गया है क खण्ड द्वारा इस कार्य के आकस्मिक मद पर ` 13 लाख का अ धक व्यय कया गया था।

उपरोक्त के सम्बंध मे इं गत कये जाने पर खण्ड द्वार अवगत कराया क अनुबन्ध गठन ति थ 14-05-2014 तक अनुबन्ध मे एस0बी0डी0 लगाने हेतु शासनादेश प्राप्त नहीं हुआ था तथा अन्य मार्ग स्वीकृत मार्ग का ही एक प्रभाग है जिसका सक्षम अ धकारी से व भन्नता स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है। इसके अतिरिक्त इस कार्य पर ` **31.41** लाख का भुगतान टी०एस०पी० के अन्तर्गत चल रहे कार्यो व वा र्षक मार्ग अनुरक्षण पर कया गया है जिसमे से ` **30** लाख का समायोजन टी0एस0सी० के कार्य मे हुवी बचत से कर ली जायेगी बाकी धनरा श आकस्मिक मद मे व्यय मानी जाये। खंड का उत्तर तरकसंगत/मान्य नहीं है क्यो क खंड द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त इस कार्य पर ` **31.41** लाख का अ धक व्यय शासनादेश, बजट मेनुयल व वत्तीय

नियमो के वरुद भारित कया गया है तथा स्वीकृति आगणन व प्रशासकीय एवं वत्तीय स्वीकृति के वरुद 204 मी0 मार्ग का निर्माण कया गया था। इसके अतिरिक्त खंड द्वारा आगणन मे स्वीकृत आकस्मिक मद ` **6** लाख के सापेक्ष ` **19.32** लाख का व्यय कया गया था और जहा तक अनुबन्ध मे एस0बी0डी0 लगाने हेतु शासनादेश प्राप्त न होना अवगत कराया गया है इस सम्बंध मे राज्य सरकार के द्वारा सभी कार्यालयों को द्रुतगामी उपकरणों जैसे फैक्स, ई-मेल आदि से सुसज्जित कया गया है अतःखण्ड का उत्तर अनुबन्ध मे एस0बी0डी0 लगाने हेतु शासनादेश प्राप्त न होना मान्य नही है।

अतः कार्य के निष्पादन मे ठेकेदार को अर्थदण्ड की कटोती मे अनु चत लाभ पहुचाना, व्यय वर्तन `31.41 लाख तथा प्रशासकीय एवं वत्तीय तथा प्रा व धक स्वीकृति के वरुद 204 मी0 अन्य मार्ग निर्माण पर `13 लाख का अननिय मत व्यय कार्य पर भारित कया जाने का प्रकरण उच्च अ धकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-दो 'ब'

प्रस्तर-2 ठेकेदार के देयकों से देय `105.51 लाख एल० डी० **(liquidated damages)** की कटोती नहीं कर ठेकेदार को अनु चत लाभ पहुचाना ।

कार्यालय अ धशासी अ भयंता, लोक निर्माण वभाग, खटीमा के अ भलेखो की नमूना जांच (02/2018) में देखा गया क राज्य योजना/नाबार्ड-20 के अंतर्गत जनपद- ऊधम संह नगर के वधान सभा क्षेत्र सतारगंज में:

A. वधान सभा क्षेत्र सतारगंज के अंतर्गत देवनगर फुटबाल फल्ड से वष्णु प्रामा णक के घर तक 1.254 कमी0 सड़क निर्माण एवं कटना नदी पर 36 मी0 स्पान आर0 सी0 सी0 प्री स्ट्रेस सेतु का निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्याः 6754/III(2)/13-06 (प्रा.आ.)/2012 दिनांक 31-12-2013 द्वारा रू. 399.44 लाख की प्रशासकीय एवं वत्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी।

B. वधान सभा क्षेत्र सतारगंज के अंतर्गत दौदा मोड से कटना नदी के ऊस पार तक 0.500 क0मी0 सम्पर्क मार्ग एवं 30 मी0 स्पान प्री स्ट्रेस सेतु का निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्याः 6755/III(2)/13-06 (प्रा.आ.)/2012 दिनांक 31-12-2013 द्वारा रू. 331.00 लाख की प्रशासकीय एवं वत्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी।

C. वधान सभा क्षेत्र खटीमा के अंतर्गत प्रतापपुर नौसर खुदागंज मार्ग के परवीन नदी पर 45 मी0 स्पान प्री स्ट्रेस सेतु का निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्याः 334/III(2)/14-46 (प्रा.आ.)/2013 दिनांक 21-01-2014 द्वारा रू. 361.59 लाख की प्रशासकीय एवं वत्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी।

ऊपरोक्त तीनों कार्यो **(A, B** एवं **C)** की प्रा व धक स्वीकृति मुख्य अ भयन्ता, लो.नि. व., हल्द्वानी द्वारा क्रमशः पत्रांकः 182/01/यात्रा/ हल्द्वानी/2014 दिनांकः 06/02/2014 लागत रू. 399.44 लाख की एवं पत्रांकः 180/01/यात्रा/ हल्द्वानी/2014 दिनांकः 06/02/2014 लागत `331.00 लाख की तथा पत्रांकः 2496/01 यात्रा- हल्द्वानी/2014 दिनांकः 13/06/2014 लागत रू. 361.59 लाख की प्रदान की गयी थी। खण्ड के अ भलेखों की नमूना जांच में पाया गया क ऊक्त तीनों कार्यो पर आति थ तक `815.40 लाख (`**253.97** लाख + `**243.05** लाख + ` 318.38 लाख) व्यय कया गया है और तीनों कार्य अपूर्ण है|

उपरोक्त तीनों कार्यो (**A, B** एवं **C)** हेतु ठेकेदार M/s वुडहिल इन्फास्ट्रक्चर प्रा0 ल0, राजनगर, गाजियाबाद के साथ अलग-अलग अनुबंध [क्रमशःअनुबन्ध संख्या – 20/SE-04/2014 दिनांक-20.09.2014 कुल लागत `38154627.81(16% Above) एवं अनुबन्ध संख्या - 22/SE-04/2014 दिनांक-20.09.2014 कुल लागत `32731635.00 (24% Above) तथा अनुबन्ध संख्या – 21/SE-04/2014 दिनांक-20.09.2014 कुल लागत `34634642.19 (15% Above)] गठित कया गया जिसके अनुसार उक्त तीनो कार्यो(**A, B** एवं **C)** की क्रमशः कार्य प्रारम्भ की ति थ 20/09/2014 व कार्य समाप्ती की निर्धारित ति थ 19/12/2015 (15 महीने) एवं कार्य प्रारम्भ की ति थ 20/09/2014 व कार्य समाप्ती की निर्धारित ति थ 19/03/2016 (18 महीने) तथा कार्य प्रारम्भ की ति थ 20/09/2014 व कार्य समाप्ती की निर्धारित ति थ 19/03/2016 (18 महीने) थी आतिथी तक अपूर्ण कार्य के निष्पादन मे कुल `815.40 लाख (`253.97लाख + `243.05लाख + `318.38 लाख) का व्यय कया गया है। जब क अनुबन्ध के अनुसार कार्य पर निम्न वतीय माइल स्टोन निर्धारित कए गए थे।

		(A कार्य) 20/SE-04/2014 दिनांक 20.09.2014-	(B कार्य) 22/SE-04/2014 दिनांक-20.09.2014	(C कार्य) 21/SE-04/2014 दिनांक-20.09.2014
माइल स्टोन 1	%15	**5** माह	6माह	6 माह
माइल स्टोन 2	% 50	**10** माह	12 माह	**1**2 माह
माइल स्टोन 3	% 100	**15** माह	18 माह	**1**8 माह
वलम्ब		**25** माह	**22** माह	**22** माह

इस प्रकार तीनो कार्यो को 25 से 22 महीने वलम्ब होने के उपरान्त भी पूर्ण नहीं कया गया था (01/2018 तक)। इस सम्बंध मे खण्ड द्वारा ठेकेदार से अनुबन्ध के GCC एवं PCC शर्तो (प्रस्तर संख्या 46) के अनुसार निर्धारित समय पर माइल स्टोन प्राप्त न कए जाने पर देयकों से देय ` 105.51 लाख (`38.15 लाख+` 32.73 लाख+`34.63 लाख =` 105.51 लाख)[अनुबन्ध **20/SE-04/2014Dated** 20.09.2014 774 दिन बिलम्ब X `190000 प्रति दिन = `1.47 करोड़ {`1.47 करोड़ limited to 10% of the initial contract price = `38.15 लाख} एवं अनुबन्ध **22/SE-04/2014Dated** 20.09.2014 683 दिन बिलम्ब X `16000 प्रति दिन = `1.09 करोड़ {`1.09 करोड़ limited to 10% of the initial contract price = ` 32.73 लाख } तथा अनुबन्ध **21/SE-04/2014Dated** 20.09.2014 683 दिन बिलम्ब X `17000 प्रति दिन = `1.16 करोड़ {`1.16 करोड़ limited to 10of the initial contract price = ` 34.63 लाख }] के हिसाब से एल० डी० (liquidated damages) की कटोती नहीं की गयी थी। इसके साथ-साथ ठेकेदार द्वारा समय वृद्ध हेतु कोई आवेदन भी नहीं दिया गया था। इस प्रकार ठेकेदार

को अर्थदण्ड न लगा कर खण्ड द्वारा ठेकेदार को अनु चत लाभ पहुचाया गया साथ ही समय पर निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने पर वांछित उद्देश्य की प्राप्ति न होना यह दर्शाता है क खण्ड कार्य को सही महत्व नही दे रहा था साथ ही ठेकेदार पर नियम अनुसार कार्यवाही भी सुनिश्चित नहीं की गयी जो क खण्ड की लापरवाही को भी परिल क्षत करता है।

आगे अ भलेखो की जाँच मे यह भी पाया गया क इस कार्य पर अनुबन्ध के GCC clause 13 के शर्तो अनुसार कार्यो **(A, B** एवं **C)** का इन्श्योरेंनस भी नहीं करवाया गया था और अनुबन्ध के GCC clause 13.3 के अनुसार खण्ड द्वारा कार्यवाही भी सुनिश्चित नहीं की गयी थी।

उक्त के संदर्भ मे इं गत कए जाने पर तथ्यों की पुष्टि करते हुए खण्ड द्वारा अवगत कराया गया क इन्सोरेंनस करवाने हेतु ठेकेदार को निर्दे शत कया गया है, उसके द्वारा इन्सोरेंनस न कये जाने पर वभाग द्वारा कराया जायेगा, खंड द्वारा समय-समय पर ठेकेदार को निर्दे शत कया गया है, अगर ठेकेदार द्वारा दी गयी सीमा के अन्दर कार्य नहीं कया गया तो अनुबंध की शर्त के अनुसार उच्चा धकारियो के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाएगी। खण्ड का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्यो क उक्त तीनो कार्यो **(A, B** एवं **C)** की समाप्ति की ति थ के 25 से 22 महीने व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी आति थ तक कार्य को पूर्ण नहीं कया जा सका था और न ही अनुबन्ध के GCC एवं PCC शर्तो (प्रस्तर संख्या 46) के अनुसार निर्धारित समय पर माइल स्टोन प्राप्त न कए जाने पर देयकों से देय ` 105.51 लाख एल० डी० (liquidated damages) की कटोती ठेकेदार से नहीं की गयी थी।

अतः ठेकेदार के देयकों से देय ` 105.51 लाखएल० डी० (liquidated damages) की कटोती नहीं कर ठेकेदार को अनु चत लाभ पहुचाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग- 2 (ब)

वषय:3- प्रतिभूति धनरा श(**Security Deposit)** की प्रत्याहरण**(Refund)** के संबंध मे।

जुलाई 2014 से पूर्व सामान्य ठेकेदार से प्राप्त प्रतिभूति धनरा श कोषागार मे जमा होती थी तथा कार्य की समाप्ति पर ठेकेदार को वापस कर दी जाती हैं। माह जुलाई 2014 से ठेकेदारो के देयकों का भुगतान कोषागार के माध्यम से ऑन लाइन कया गया। ऑन लाइन भुगतान मे ठेकेदार के देयक से कटौती की जा रही प्रतिभूति धनरा श भी सीधे ई-चेक के माध्यम से कोषागार मे जमा हो रही हैं।

खंड की निक्षेप पंजिका की नमूना जांच मे पाया गया हैं क Deposit Part-II के अनुसार जुलाई 2014 तक ` 61,13,457.00 की ठेकेदारो के प्रतिभूति धनरा श का भुगतान कया जाना शेष था। एवं दिसम्बर 2017 ने यह अवशेष ` 44,96,094.00रह गया था। अतः जुलाई 2014 से दिसम्बर 2017 तक कुल ` 16,17,363.00 की प्रतिभूति धनरा श का भुगतान कया गया।

इस ओर इं गत कए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया हैं क जुलाई 2014 से दिसम्बर 2017 तक कुल ` 16,17,363.00 की प्रतिभूति धनरा श का भुगतान रोड कटिंग से प्राप्त धनरा श से कया गया। क्यो क रोड कटिंग से प्राप्त धनरा श रोड की मरम्मत के लए उपयोग मे लानी चाहिए थी न की प्रतिभूति धनरा श की वापसी के लए।

अतःरोड कटिंग से प्राप्त धनरा श का उपयोग प्रतिभूति धनरा श की वापसी के लए कए जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

STAN

प्रस्तर **1:** श्र मक उपकर के संबंध मे।

ठेकेदारो के देयकों से श्र मक उपकर के रूप मे काटी गयी धनरा श को यथाशीघ्र ही श्रमायुक्त को हस्तांतरित कर दी जानी चाहिए।

अ धशासी अ भयंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण वभाग, खटीमा के अ भलेखो की नमूना जांच मे पाया गया हैं क माह जून 2014 तक ठेकेदारो के देयकों से श्र मक उपकर के रूप मे काटी गयी कुल ` 17,11,669.00 की धनरा श निक्षेप पंजिका के भाग-V मे असमायोजित पड़ी थी।जो जून 2017 तक भी असमायोजित थी।एवं जून 2017 के पश्चात निक्षेप पंजिका भाग-V का अद्यतन नही कया गया हैं।माह जुलाई 2014 से ठेकेदारो के देयकों का भुगतान कोषागार के माध्यम से ऑन लाइन कया गया। ऑन लाइन भुगतान मे ठेकेदार के देयक से कटौती की जाने वाली धनरा श भी सीधे ई-चेक के माध्यम से कोषागार मे जमा हो रही हैं।

इस ओर इं कत कए जाने पर खंड द्वारा बताया गया हैं क श्र मक उपकर के रूप मे जो धनरा श देयकों से काटी गयी थी को दिनांक 31.03.2014 की जमा करने हेतु चेक स्टेट बैंक मे दिया गया था परंतु बैंक मे अव्यवस्ता होने एवं सर्वर न चलने के कारण धनरा श जमा नही हो पायी तथा अगली वत्तीय वर्ष मे CCL न मलने के कारण जमा नही हो सका जिसके लए शासन से CCL प्राप्त हेतु पत्र व्यवहार कया जा रहा हैं। CCL प्राप्त होते ही धनरा श भेज दी जाएगी। तथानिक्षेप पंजिका भाग-V की अद्यतन की कार्यवाही कर ली जायेगी।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
81/1991-92	2	5
42/1995-96	-	2,3
61/1996-97	-	2
40/1997-98	-	2,3
52/1998-99	1	2
49/2000-01	-	2,3
23/2001-02	-	1,2,3,4
02/2002-03	-	2
07/2003-04	-	2
59/2004-05	1,2,4,5	1
94/2005-06	-	1,2,3
60/2008-09	1	1,2
97/2010-11	1,2	1
87/2011-12	1	1
38/2014-15	-	1,2,3
16/2016-17	1	1,2,3 STAN - 1

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
खण्ड द्वारा अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या को पूर्व में महालेखाकार कार्यालय को प्रे षत कया जा चुका है तथ्य से अवगत कराया गया।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण वभाग, खटीमा तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i) शून्य

2. सतत् अनिय मतताएः

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री कैलाश चन्द्र पंत	अ धशासी अ भयन्ता (23/04/15 से 30/06/2017)
(ii)	श्री कृष्ण चन्द्र भट्ट	अ धशासी अ भयन्ता (01/07/2017 से 29/07/2017)
(iii)	श्री मदन राम आर्य	अ धशासी अ भयन्ता (29/07/2017 से अब तक)

4. वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

(i) श्री व पन कुमार दिनांक 24/07/2017 से 12/06/2017 तक

(ii) श्री धर्मेंद्र कुमार पासवान दिनांक 20/06/2017 से अब तक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण वभाग, खटीमा को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार, आ र्थक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी

आ र्थक खण्ड-II